2101

Government of India
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office

FRI Campus, Pearson Road
P.O. New Forest
Dehrdun – 248006
Phone: 0135-2750809

पत्र सं0 **9-HPB 830/2011-CHA** /378

दिनांक: 01.10.2014

सेवा में,

प्रधान सचिव,
हिमाचल प्रदेश सरकार, वन विभाग,
सिविल सचिवालय, शिमला

विषय : **Diversion of 1.1210 ha of forest land in favour of commissioner Municipal Corporation Shimla for the construction of Car Parking near Tourism information centre at old barrier Shimla, within the jurisdiction of Shimla Forest Division & District Shimla, H.P.**

सन्दर्भ : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश का पत्रांक–48–2101/2010 (एफ0सी0ए0) दिनांक 22.09.2014 एवं वन संरक्षक (केन्द्रीय) उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय का पत्रांक –9 –एच0पी0बी0 830/2011 – सी0एच0ए0 दिनांक–09.12.2011

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित नोडल अधिकारी एवं अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हिमाचल प्रदेश, शिमला का उपरोक्त संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा–2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की उपर्युक्त विषय के लिए अनुमति मांगी गयी थी।

राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 1.1210 हे0 वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है:

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. कम से कम वृक्ष कटवाए जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 215 वृक्ष से अधिक नही होगी।
3. प्रतिपूर्ति पौधारोपरण प्रस्ताव के अनुसार PF/10 Malgi में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रूपये 2,17,250/– की राशि से कुल 2.242 हे0 निम्नकृत वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए।
4. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा।

9. प्रत्यावर्तित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के खर्चे पर Rcc pillar द्वारा किया जाएगा, जिसका forward तथा Backword इमंतपदह अंकित होगा।
10. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देश संख्या 11–48/2002–एफ.सी दिनांक 29/30 अप्रैल 2005, 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 17 जनवरी 2011 तथा अन्य जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जायेगी।
11. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मवारी होगी।

उपरोक्त शर्तो मे से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नही पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकता है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

भवदीय,

(डी०पी० सिन्हा)
अपर प्रमुख, मुख्य वन संरक्षक
क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ०सी०), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, हिमाचल प्रदेश सरकार, वन प्रभाग, टालैंड, शिमला।
3. Divisional Forest Officer, Shimla Forest Division, Distt. Shimla, H.P.
4. Commissioner, Municipal Corporation, Shimla, H.P.
5. आदेश पत्रावली।

01.10.14

प्र०मु०अ०पा० हि०प्र०
पावती सं. 24065
दिनांक 21/10/14

5/FCA
15/10/14

(डी०पी० सिन्हा)
अपर प्रमुख, मुख्य वन संरक्षक
क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून

Endst. No. Ft. 48-2101/2016 (FCA) Dated the, Shimla-1 31 OCT 2014

Copy is forwarded to CF (IT) the following for information and necessary action. He is requested to upload formal order as issued by Pr. Secretary (Forests) to GoHP on the website of forest department.

Nodal Officer-cum-Addl. Pr. CCF (FCA)
O/o Pr. CCF, H.P. Shimla-1.